परिपत्र संख्या: 31 /2013

देवराज नागर
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ

दिनांक: लखनऊ: जून 26, 2013

प्रिय महोदय,

वर्तमान में प्रदेश में हिन्दू-मुस्लिम सम्प्रदाय के मध्य छोटी से छोटी घटना घटित हो जाने पर भी स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है, जिसका शान्ति व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतएव साम्प्रदायिक संवेदनशीलता के ऊपर सतर्कता रखा जाना परम आवश्यक है।

2. अभी हाल ही में दि0 22-6-2013 को जनपद अम्बेडकरनगर के थाना जहांगीरगंज में गोकशी की घटना की सूचना पर पुलिस द्वारा समय से कार्यवाही न करने के फलस्वरूप एक पक्ष द्वारा उत्तेजित होकर कुछ दुकानों में आगजनी एवं पथराव की घटना घटित हुई थी। इसके पूर्व इसी जनपद में दि0 3-3-2013 को कस्बा टांडा में श्री रामबाबू गुप्ता, जिलाध्यक्ष हिन्दू युवा वाहिनी के अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों द्वारा की गई हत्या के फलस्वरूप आक्रोशित भीड़ द्वारा पथराव एवं आगजनी की घटना, जनपद सम्भल में ही थाना नक्खासा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बैतला में 4/5-3-13 को अनाधिकृत मस्जिद निर्माण का हिन्दुओं द्वारा किया जाने वाला विरोध, जनपद बिजनौर में दि0 5-3-13 को थाना नगीना देहात के अन्तर्गत ग्राम कोट कादर में अवैध रूप से ले जाते हुए 12 गोवंशीय पशुओं को पकड़ने पर ग्रामीणों द्वारा पुलिस पर किये गये पथराव, जनपद बहराइच के थाना रुपईडीहा क्षेत्रान्तर्गत दि0 7-3-13 को श्री राम लाल यादव पूर्व प्रधान ग्राम दुर्गापुर द्वारा अपने घर के पास में स्थापित की जाने वाली दुर्गा प्रतिमा को मुस्लिमों द्वारा क्षतिग्रस्त करना एवं जनपद शामली में दि0 26-3-13 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत मन्दबुद्धि के मुस्लिम बच्चे द्वारा होली सम्मत के पास जल रहे दीपक को उठाने के प्रयास में होली पर्व में समय से पूर्व आग लग जाने से उत्पन्न प्रतिक्रियास्वरूप हिन्दुओं द्वारा किया गया मार्गविरोध व एक मस्जिद को क्षतिग्रस्त कर दिये जाने की घटना प्रमुख साम्प्रदायिक घटनाएं घटित हुईं। इसके पूर्व माह जनवरी में जनपद सुल्तानपुर के थाना धम्मौर के ग्राम भाई में मंदिर पर बज रहे लाउडस्पीकर का विरोध किये जाने से उत्पन्न हिंसा, जनपद बरेली के थाना सी.बी.गंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम डोली रघुबरदयाल में अंजुमन के जुलूस को नये रास्ते से निकाले जाने पर किये गये विरोध, जनपद सम्भल के थाना चन्दौसी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बुद्धनगर खण्डवा में किशन लाल राणा के मकान से शिव मन्दिर तक निकाले जाने वाली प्रभात फेरी का मुस्लिमों द्वारा किया जाने वाला विरोध, जनपद एटा में थाना निधौली कलां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गादरी में कुछ मुस्लिमों द्वारा बछड़े को काटे जाने की जानकारी पर हिन्दुओं द्वारा किया गया विरोध व आगजनी की घटनाएं घटित हुई हैं, जिनसे यह प्रतीत हो रहा है कि कतिपय अराजकतत्व साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए अपने निहित स्वार्थवश निरन्तर चेष्टारत रहते हैं। अतः जब कभी भी कोई छोटी घटना होती है, तो साम्प्रदायिक रंग देने का प्रयास किया जाता है। वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल इस ओर ध्यान देना आवश्यक है और ऐसे सभी उपाय किये जाने चाहिए, जिससे कि कोई भी छोटी से छोटी घटना साम्प्रदायिक रूप न ले सके।

3- साम्प्रदायिक घटना घटित होने की स्थिति में जनपद पुलिस प्रभारी द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाये:-

(1) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक घटना घटित होने पर तत्काल मौके पर जायें।
(2) नियन्त्रण कक्ष पर क्यूआरटी तैयार रखा जाये।
(3) जनपद के सभी थाना प्रभारी व क्यूआरटी आंसू गैस के उपकरण के साथ सदैव तैयार रहें।
(4) जनपद के सभी थाना/चौकियां नगर नियंत्रण कक्ष/जिला नियंत्रण कक्ष से जुड़े रहकर तारतम्य बनाये रखेंगे।
(5) घटना घटित होने पर जनपद प्रभारी अपने सम्बंधित परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक/जोनल पुलिस महानिरीक्षक के साथ मुख्यालय पुलिस महानिदेशक के नियन्त्रण कक्ष को तत्काल सूचित करेंगे।
(6) साम्प्रदायिक घटना के फलस्वरूप अभिसूचना तन्त्र निरन्तर सतर्क रहेगा एवं किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण अभिसूचना से जनपद प्रभारी के साथ-साथ सम्बन्धित अधिकारीगण को भी अवगत करायेगा।
(7) घटना के दौरान क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों/भवनों की अविलम्ब मरम्मत करा ली जाये।
(8) संवेदनशील स्थानों पर गश्त, पिकेट एवं नाकाबंदी की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
(9) साम्प्रदायिक घटना के फलस्वरूप पुलिस बल द्वारा जनपद के समस्त धार्मिक स्थल (मन्दिर/मस्जिद आदि) को चेक किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई अवांछनीय वस्तु धार्मिक स्थल के आस-पास मौजूद न हो।
(10) घटना के सम्बन्ध में सम्बन्धित घटनास्थल की वीडियो रिकार्डिंग की जाये।
(11) संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर शान्ति समितियों का गठन किया जाये तथा उनको पूर्ण रूपेण क्रियाशील बनाया जाये। समितियों के गठन करते समय यह ध्यान दिया जाये कि अधिक से अधिक वर्गों को इस समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाये।
(12) साम्प्रदायिक घटना के फलस्वरूप जुलूस निकालने की सम्भावना के दृष्टिगत जुलूस के मार्गों को पूर्व से चिन्हित कर लिया जाये तथा इन मार्गों पर प्रभावी पुलिस प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाये।
(13) साम्प्रदायिक घटना के दृष्टिगत लाउडस्पीकर से सम्बन्धित दुकानस्वामियों को लिखित रूप से हिदायत कर दी जाये।
(14) लाउडस्पीकर के मानक ध्वनि एवं निर्धारित समय के सम्बन्ध में इसका प्रयोग करने वालों को हिदायत कर दी जाये।
(15) जनपद के सभी असामाजिक एवं साम्प्रदायिक तत्वों के विरूद्ध अभिलेखों को आद्यावधिक कर लिया जाये।
(16) ऐसे तत्वों के विरूद्ध धारा 116(3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत निरूद्ध करने सम्बन्धी कार्यवाही की जाये।
(17) असामाजिक तत्वों/साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाये।
(18) ऐसे तत्वों के विरूद्ध एन0एस0ए0/गैंगस्टर के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।
(19) समस्त संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त गश्त/पिकेट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
(20) दंगा नियन्त्रण योजना का रिहर्सल समय से सुनिश्चित कर लिया जाये।
(21) जनपद के प्रभावित क्षेत्र में कम्युनिटी पुलिसिंग योजना को लागू किया जाये।
(22) अफवाहों पर प्रभावी नियन्त्रण रखा जाये।
(23) आवश्यकता के अनुरूप न्यूनतम बल का प्रयोग किया जाये।
(24) पुलिस कर्मचारियों को पर्याप्त ढंग से ब्रीफ किया जाये।
(25) मीडियाकर्मियों को सही तथ्यों से अवगत कराया जाये।
(26) नगर नियन्त्रण कक्ष के कर्मचारियों एवं थानों की पुलिस का समय-समय पर टेस्ट काल देकर परीक्षण किया जाये।
(27) घटना के परिप्रेक्ष्य में इंटरनेट/फेसबुक पर सतर्क दृष्टि रखी जाये।

(28) गौकशी की घटना होने पर तत्काल मौके पर जाकर देखा जाये, घटना की वीडियोग्राफी की जाये एवं फोरेंसिक सैम्पल को संकलित कर नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

(29) संवेदनशील क्षेत्रों में वाच टावर बनाया जाये।

(30) अग्निशमन के समस्त उपकरणों को निरन्तर चेक कर लिया जाये।

(31) यातायात डायवर्जन की योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन किया जाये।

(32) जनपद के समस्त धार्मिक स्थलों की सूची सदैव अपने साथ रखी जाये।

मैं अपेक्षा करूंगा कि आप इस परिपेक्ष्य में मुख्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत निर्देशों एवं उक्त निर्देशों का अनुश्रवण करते हुए अपने जनपदों में सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा जनपद में होने वाली छोटी से छोटी साम्प्रदायिक घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्यवाही करायेंगे। जनपद की कानून व्यवस्था को अक्षुण रखने का आपका व्यक्तिगत दायित्व होगा।

भवदीय,

(देवराज नागर) 26-6-13

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।